UPCD010006912026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

उपस्थितः अशोक कुमार–XI, एच.जे.एस.

J.O.Code U.P. 6128

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 332 सन् 2026

विशाल गुप्ता पुत्र लाल बहादुर गुप्ता प्रति उत्तर प्रदेश राज्य।

अपराध संख्या – 24 सन् 2026

धारा : 305(a),331(4),317(2),317(4) भारतीय न्याय संहिता

थानाः मुगलसराय, जिलाः चन्दौली।

दिनाँकः 13.03.2026,

1. अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र लाल बहादुर गुप्ता की ओर से थाना– मुगलसराय, जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 24/2026, धारा 305(a),331(4),317(2),317(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त विशाल गुप्ता उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त व उसके शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद न तो दाखिल है न ही निस्तारित है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त उपरोक्त का प्रश्नगत प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 11–02–2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली के न्यायालय से खारिज हो चुका है और इस प्रकार अभियुक्त उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

2. **अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि;**

3. वादी मुकदमा महेन्द्र चौधरी पुत्र हरिदास चौधरी दरियापुर का निवासी है। दिनाँक 18.01.2026 को समय लगभग 1.30 बजे रात को उसके घर में चोरों द्वारा चोरी की घटना घटित की गयी। भागते समय एक चोर को पहचान लिया, जिसका नाम विशाल गुप्ता पुत्र लालबहादुर गुप्ता निवासी रामनगर मछट्टा वाराणसी है। उसके घर से लगभग तीस हजार रू. नकद तथा एक सोने की चैन, दो सोने की अंगूठी और एक चांदी का पायल चुरा ले गये हैं।

4. अभियुक्त विशाल गुप्ता उपरोक्त का अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहना है कि उसका दोषसिद्धि का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 16 घंटे विलम्ब से दर्ज कराई गई है। घटना रात लगभग 1.30 बजे की बतायी जाती है और चोरी कर भागते समय अभियुक्त को पहचानना अभिकथित किया गया है जबकि वह न तो वादी मुकदमा के निवास स्थान का निवासी है न ही किसी माध्यम से वादी से कभी मिला है। स्पष्ट है कि उसे किसी व्यक्ति के दुस्प्रभाव में होकर साजिशन फंसाया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसके पास से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं किया गया है। वह दिनाँक 20.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

5. अभियुक्त विशाल गुप्ता के उक्त जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त चोरी की इस आपराधिक घटना में शामिल शरीक रहा है जिसे चोरी कर भागते समय वादी द्वारा पहचाना गया है तथा वह प्रथम

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.03.13 15:47:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

6. मैने अभियुक्त उपरोक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना व पत्रावली तथा थाने से प्राप्त आख्या व केस डायरी का सम्यक् अवलोकन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनाँकित 18.01.2026 समय करीब 1:30 बजे रात्रि के बाबत वादी मुकदमा द्वारा दिनाँक 18.01.2026 को समय 17:23 बजे दी गयी तहरीर के आधार पर थाना- मुगलसराय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार चोरी के पश्चात् भागते समय वादी मुकदमा द्वारा एक चोर को प्रार्थी/अभियुक्त के रुप में पहचान लिया जाना कहा गया है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त न तो वादी मुकदमा के निवास स्थान का निवासी है और न ही किसी माध्यम से कभी इनसे मिला है। किसी व्यक्ति के दुष्प्रभाव में होकर साजिशन फंसाया गया है। कथित घटना रात्रि 1:30 बजे की कही गयी है। किस प्रकाश स्रोत के अन्तर्गत वादी मुकदमा द्वारा चोर को पहचाना गया है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है और न ही गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी होना कहा गया है। थाने से प्राप्त आख्या दिनाँकित 23.02.2026 के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का प्रश्नगत अपराध के अतिरिक्त 02 अन्य आपराधिक इतिहास होना कहा गया है किन्तु किसी मामले में सजायावी होना नहीं कहा गया है। जमानत एक नियम है, जबकि जेल अपवाद है। जमानत का प्रयोजन न तो अभियुक्त आवेदक को कारागार में रखकर दण्डित करना और न ही उसे पाठ पढ़ाना है बल्कि जमानत का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त आवेदक की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनाँक 20.01.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए व बिना गुण-दोष पर राय व्यक्त किये इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ अभियुक्त विशाल गुप्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर निष्पादित करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

जमानत आदेश में जो भी सम्प्रेक्षण किये गये है, वे मात्र जमानत आदेश तक ही प्रभावी होंगे। इनका कोई भी प्रभाव मामले के गुण-दोष पर नहीं होगा।

दिनाँक : 13.03.2026

(अशोक कुमार-XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।

स्टेनोग्राफर- राजीव कुमार सिंह।